NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)

No : 50 /NCRES/42/23 Date : 7.2.2023

श्रीमान डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषयः— जनवरी 2015 से जुलाई 2015 के बीच भर्ती रेल कर्मचारियों को पहली वेतन वृद्धि $1\frac{1}{2}$ वर्ष बाद दिया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि जनवरी 2015 से जुलाई 2015 के मध्य भर्ती हुये रेल कर्मचारी चूंकि छठवें वेतन आयोग द्वारा नियंत्रित थे, अतः उनके लिये वेतन वृद्धि की तारीख मात्र 1 जुलाई थी एवं उसी के अनुसार उनको सातवें वेतन आयोग में दिनांक 1.1.2016 को सम्बन्धित लेविल की पहली सेल में रखते हुये पहली वेतन वृद्धि लगभग $1\frac{1}{2}$ वर्ष बाद 1 जुलाई 2016 को दी गई है।

NCRES का मानना है कि चूंकि दिनांक 01.01.2016 से सातवां वेतन आयोग लागू हो गया था एवं उसी दिन से कर्मचारियों के लिये दिनांक 01 जनवरी एवं 01 जुलाई के रूप में दो वेतन वृद्धि की दिनांक लागू करने का विकल्प खुल गया था, अतः नियमतः दिनांक 1.1.2016 को 06 माह या ज्यादा की सर्विस कर चुके कर्मचारियों को उनके पे लेविल में एक वेतन वृद्धि देते हुये पहले सेल की बजाय दूसरी सेल में फिक्स किया जाना चाहिये एवं इसके 06 माह बाद यानि 01 जुलाई 2016 को अगली वेतन वृद्धि दिया जाना चाहिये था लेकिन नही दिया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड स्तर पर वार्ता कर भारतीय रेल के ऐसे सभी कर्मचारियों को दिनांक 1.1.2016 को एक अतिरिक्त इन्क्रीमेन्ट दिलाने का कष्ट करें।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री